

विधानसभा अतारंकित प्रश्न क्र. 3983 कूँवर सौरभ सिंह
मृतक जंगली जानवरों के संबंध में (विगत 10 वर्षों में जनवरी 2008 से दिसम्बर 2017 तक) - सामान्य वन मंडल कटनी

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड	वर्ष	पी.ओ.आर. नं./दिनांक	मृत वन्यप्राणी का नाम एवं संख्या	अपराधी का नाम/पता	धारा	अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
1	कटनी	बड़वारा	2009	164/04 19.06.2009	नर तेन्दुआ 01	1. भण्डारी व0 चिड्डू कुम्हार 2. भगवती व0 चिड्डू कुम्हार 3. गणेश कुम्हार 4. रामकशल कुम्हार 5. विनोद गौड़ 6. चुन्ता उर्फ कोयलरहा 7. जयप्रकाश कुम्हार 8. सौखीलाल गौड़ सभी अपराधी साकिन जगुआ, थाना एवं तह. बरही, जिला कटनी	वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 51, 52	अपराधी क्र. 1 एवं 2 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें जेल भेजा गया। अपराधी क्र. 3 से 8 तक फरार हैं।	माननीय न्यायालय कटनी में विचाराधीन है।
2	कटनी	दीमरखेडा	2009	221/15 26.06.2009	तेन्दुआ 03	इल्लू बैगा, ग्राम बनहरा, तहसील दीमरखेडा भाई लाल बैगा, ग्राम बनहरा, तहसील दीमरखेडा इकबाल खान, ग्राम करौंदी, तहसील दीमरखेडा	वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में	6 वर्षों की सजा एवं 10,000 रुपये का अर्थदण्ड	निराकृत
3	कटनी	बड़वारा	2012	304/6 22.12.2012	मादा तेन्दुआ 01	अनिल शर्मा व0 जगदीश शर्मा, साकिन कुआँ, थाना एवं तह. बरही, जिला कटनी	304ए भा.द.वि. एवं वन्यप्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 2, 9.	दिनांक 5.11.14 को अपराधी को गिरफ्तार कर मान.न्यायालय कटनी के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेजा गया।	माननीय न्यायालय कटनी में विचाराधीन है।
4	कटनी	बड़वारा	2012	268/2 26.12.2012	नर बाघ 01	1. पप्पू व0 सुंदरलाल कोल, उम 33वर्ष, साकिन जुगिया पहरिया, 2. मुन्ना व0 महेश कोल उम 40वर्ष, साकिन नन्हवारा कलौ, 3. सुखदीन व0 नन्दीलाल कोल उम 50वर्ष, साकिन नन्हवारा कलौ, 4. रज्जू व0 फूलसिंह लुनिया उम 30वर्ष, साकिन जुगिया पहरिया, 5. गुलजारी व0 सुक्खू कोल उम 48वर्ष, साकिन नन्हवारा खर्द, 6. बुद्धू व0 रामविशाल कोल उम 30वर्ष, साकिन नन्हवारा खर्द, 7. उदय व0 सूरज सिंह लुनिया उम 45वर्ष, साकिन जुगिया पहरिया, 8. संदीप व0 प्रताप सिंह लुनिया, उम 27 वर्ष साकिन जुगिया पहरिया, 9. रामदास व0 नन्दीलाल कोल उम 40 वर्ष साकिन नन्हवारा खर्द, 10. राजेश उर्फ दुर्बल व0 खिलाड़ी यादव उम 18 वर्ष साकिन जुगिया पहरिया, सभी अपराधी तह. बड़वारा, जिला कटनी	वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धारायें	सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया।	प्रकरण माननीय न्यायालय कटनी में विचाराधीन है।
5	कटनी	बड़वारा	2013	159/25 25.2.2013	नर बाघ 01	1.स्तोष व0 परमानन्द तिवारी उम 49वर्ष 2. रामफल उर्फ करिया व0 महादेव भूमिया उम 49वर्ष 3. शिवनाथ व0 सम्मी भूमिया उम 35 वर्ष 4. गनेशी व0 गुलाबी बसोर उम 40 वर्ष 5. सुद्धू व0 विश्राम भूमिया उम 50 वर्ष 6. राम व0 भिखारी भूमिया उम 27वर्ष 7. लल्लू व0 मुन्ना बसोर उम 23वर्ष 8. सुक्कू व0 विश्वनाथ भूमिया उम 56 वर्ष 9. दल्लू व0 पुस्सू भूमिया उम 42 वर्ष 10. कुशल व0 दल्लू भूमिया सभी अपराधी साकिन कुआँ, थाना एवं तह. बरही, जिला	वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 51, 52	सी.नं. 1 से 9 तक के अपराधियों को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया एवं सी.नं.10 का अपराधी फरार है।	प्रकरण माननीय न्यायालय कटनी में विचाराधीन है।

प्रश्न सं. [क. 3983]

क्र.	जिला का नाम	विकासखण्ड	वर्ष	पी.ओ.आर. नं./दिनांक	मृत वन्यप्राणी का नाम एवं संख्या	अपराधी का नाम /पता	धारा	अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही	प्रकरण की वर्तमान स्थिति
6	कटनी	ढीमरखेडा	2015	163/17 28.03.2015	तेन्दुआ 01	मेकू कोल एवं मुकेश कोल	वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धारार्य	सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया	प्रकरण माननीय न्यायालय कटनी में विचाराधीन है।
7	कटनी	रीठी	2017	304/04 27/01/2017	नर तेन्दुआ 01	3 आरोपी 1 फरार 1: गोविन्द वल्द भवानी भूमिया 2: रामदीन वल्द भवानी भूमिया 3: दशरथ वल्द मोतीलाल भूमिया, साकिन इमलाज	वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 51	सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया।	प्रकरण माननीय न्यायालय कटनी में विचाराधीन है।
8	कटनी	बड़वारा	2017	318/15 06.02.2017	नर तेन्दुआ 01	1- श्याम लाल व0 पुच्छा कोल उम 50वर्ष 2. मुकेश उर्फ टीडू व0 मिठईलाल भूमिया उम 30 वर्ष 3. भोला व0 छोटेला उर्फ सलैहा भूमिया उम 26 वर्ष 4. छोटेला उर्फ सलैहा व0 बिसई भूमिया उम 50 वर्ष सभी आरोपी साकिन हरई (नयागांव) थाना एवं तह. बरही, जिला कटनी	वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 51, 52	सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया	प्रकरण माननीय न्यायालय कटनी में विचाराधीन है।
9	कटनी	बड़वारा	2017	66/1631 07.11.2017	नर बाघ 01	1. मंजू पिता बाबूलाल कोल उम 40वर्ष 2. रानी पिता भूरा कोल उम 30वर्ष 3. राजेश पिता पुसऊ कोल उम 30वर्ष 4. दुर्गा व0 सीताराम कोल उम 20वर्ष 5. संतोष व0 भूरा कोल उम 22वर्ष सभी आरोपी साकिन रोहनिया, थाना एवं तह. बड़वारा, जिला कटनी	वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2, 9, 39, 51, 52	सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर मान. न्यायालय कटनी के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उन्हें जेल भेजा गया	प्रकरण माननीय न्यायालय कटनी में विचाराधीन है।

(Handwritten Signature)

मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी), म.प्र.

(Handwritten Signature)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शारान,
वन विभाग (शाखा-2)
मंत्रालय, नोपाल